न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 539–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–2–14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/11–13/अपील.

———

लाल सिंह उर्फ सिवम पुत्र बृजभान सिंह
सरपरस्त दादी आन्नदी बाई पत्नि स्व. भगवानसिंह
निवासी ग्राम मनकपुर
तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– लाखन सिंह पुत्र बाबू सिंह
ग्राम मनकपुर तहसील अशोकनगर

2– श्रीमती गुड्डीबाई पुत्री बाबूसिंह
पत्नि सुखपाल सिंह

3– श्रीमती रमावाई पुत्री भगवान सिंह
पत्नि इन्दर सिंह दोनों निवासी
ग्राम गरेठी तहसील अशोकनगर

4– श्रीमती सकुन बाई पुत्री बाबू सिंह
पत्नि लक्ष्मण सिंह निवासी
ग्राम छोटीबामौर तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म.प्र.

5– श्रीमती शारदाबाई पुत्री बाबूसिंह
पत्नि प्रतापसिंह ग्राम मनकपुर
तहसील व जिला अशोकनगर ——— असल अनावेदक

6– बृजभान सिंह पुत्र बाबूसिंह
ग्राम मनकपुर तहसील अशोकनगर ——— तरतीवी अनावेदक

———

श्री जी. पी. नायक, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री एस.पी. धाकड़, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 03 सितम्बर, 14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 10/11–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–2–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी मृतक बाबूसिंह पुत्र गंगाराम थे । तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा मृतक भूमिस्वामी बाबूसिंह के स्वामित्व की भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेन दिया गया । तहसीलदार ने विचारण पश्चात उक्त आवेदन आदेश दिनांक 22–3–11 द्वारा स्वीकार करते हुए अनावेदक क्र. 1 का नाम वसीयत के आधार पर विवादित भूमियों पर दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए वारिसाना आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 का नाम समान भाग पर नामांतरण किया जाना स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि भूमिस्वामी बाबूसिंह पुत्र/पुत्रियों से झगड़ा होने के कारण अपने छोटे भाई भगवानसिंह की वाल विधवा पत्नि आनंदी के यहां रहने लगे थे । आनंदी बाई ने आवेदक को दत्तक गोद लिया थो । आनंदी के स्व. पति भगवान की भूमि बाबूसिंह के नाम बटवारा न होने से चली आ रही थी रजिस्ट्री में खर्चा अधिक होने से आनंदी की सहमति पर बाबूसिंह ने पंजीकृत वसीयत आवेदक के हित में की है । तहसीलदार अशोकनगर ने सभी हितबद्धों को सुने जाने के उपरांत आवेदक का नामांतरण किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है

जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त ने पंजीकृत वसीयत की अनदेखी कर उत्तराधिकार के आधार पर गलत आदेश पारित किया है । यदि उत्तराधिकार के आधार पर स्वत्व चाहा जाता है तो यह अधिकारिता सिविल कोर्ट की है । उक्त आधार आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रकरण में जो साक्ष्य है उसके अवलोकन से यह निर्विवादित है कि वसीयतकर्ता द्वारा जिस दिनांक को वसीयत किया जाना बताया जा रहा है उसके पूर्व से ही मृतक बाबूसिंह लकवे से पीड़ित था । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने मनमाने तरीके से वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए हैं, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । उक्त आधारो पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण से प्रारंभ हुआ है जिसमें तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए । तहसील के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील में आलोच्य आदेश पारित हुआ है । प्रकरण में आये तथ्यो से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है और पैत्रिक भूमि के संबंध में वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि पैत्रिक भूमि में सभी उत्तराधिकारियों का समान हित होता है । अभिलेख में जो वसीयत है उसमें वसीयतकर्ता द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसे लकवा की बीमारी हो गई है तथा चलने फिरने तथा खेती बाड़ी करने में असुविधा हो गई है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष औचित्यपूर्ण है कि जब वसीयतकर्ता लकवाग्रस्त था एवं चलने फिरने में असमर्थ था उसके द्वारा वसीयत बोलकर टाइप कराना विचार योग्य बिंदु है । वसीयतकर्ता लकबाग्रस्त होने के बाद भी रजिस्ट्रार ऑफिस में किस प्रकार आया, प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित नहीं है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि वसीयत के साक्षी ने कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बाबूसिंह और आनन्दी बाई आये थे और मैं हस्ताक्षर करके चला गया था इसके बाद क्या हुआ जानकारी नहीं है । न्यायदृष्टांत 1980 (2) एमपीडब्लूएन 268 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत का फायदा

उठाने वाले व्यक्ति को यह साबित करना चाहिए कि वसीयत करने वाले व्यक्ति ने वसीयत उस समय लिखी थी जब वह सही मस्तिष्क का था और उस पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया । इससे स्पष्ट है कि साक्षी के समक्ष वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर नहीं किए । वर्तमान प्रकरण में वसीयतकर्ता की स्थिति को आवेदक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि मृतक द्वारा अनुसूची एक के सभी वारिसानों को छोड़कर वसीयत के आधार पर एक पुत्र के अल्पव्यस्क पुत्र को वसीयत करना निसंदेह वसीयत को संदिग्ध बनाता है न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उनके द्वारा मृतक की भूमि पर वारिसाना आधार पर नामांतरण के जो आदेश दिए हैं वह औचित्यपूर्ण होने से पुष्टि योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–2–14 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर